

राजस्थान सरकार
निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएँ राज. जयपुर

क्रमांक :- ई-18/एम/परिवीक्षा/जोन-भरतपुर/एफ.07381/2025/06

दिनांक : 16-01-25

आदेश

राजस्थान अधीनस्थ मंत्रालयिक सेवा नियम 1999 के नियम 41 के तहत वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ. 15(1)एफ.डी/रूल्स/2017 जयपुर दिनांक 30.10.2017 काजल वर्मा, कनिष्ठ सहायक, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण, सवाई माधोपुर जिनकी राज्य सेवा में प्रथम नियुक्ति तिथि 06.04.2022 है तथा दिनांक 05.04.2024 को दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पूर्ण कर ली है का दिनांक 06.04.2024 से रुपये 20800 (लेवल-5) पर वेतन नियतन करते हुये कनिष्ठ सहायक के पद पर एतद् द्वारा स्थाई किया जाता है। इनके द्वारा कम्प्यूटर योग्यता दिनांक 05.05.2018 एवं टंकण परीक्षा दिनांक 07.10.2024 को उत्तीर्ण करली गई है।

कार्मिक को उसके द्वारा टंकण परीक्षा उत्तीर्ण तिथि से वार्षिक वेतन वृद्धि का नकद लाभ देय होगा।

(राकेश कुमार शर्मा)
निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक :- ई-18/एम/परिवीक्षा/जोन-भरतपुर/एफ.07381/2025/06

दिनांक : 16-01-25

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण, सवाई माधोपुर।
2. प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करावें।
3. संबंधित कार्मिक को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
4. आदेश/रक्षित पत्रावली।

निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान, जयपुर

Document certified by RAKESH KUMAR SHARMA <rasrakeshsharma@gmail.com>

Digitally Signed by Rakesh Kumar Sharma
Designation: Director
Date :11-01-2025 05:42:39